भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

27.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3926 का उत्तर

रेलवे भूमि का पुनः सर्वेक्षण और पुनः सत्यापन

3926. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय रेल के राजस्व मदों, सीमाओं और भू-अभिलेखों की पुनः पुष्टि करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय से प्रत्येक स्टेशन पर और रेल पटरियों के किनारे रेलवे भूमि का मण्डल-वार पुनः सर्वेक्षण और पुनः सत्यापन करने का विचार है;

(ख) रेलवे भूमि पर अवैध अतिक्रमणों की पहचान करने, उन्हें रोकने और हटाने के लिए राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासन के साथ समन्वय में मण्डल-वार क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने भूमि अभिलेखों, अतिक्रमणों, विवादों और सुरक्षा की नियमित रूप से देखरेख करने के लिए समर्पित, मण्डल-स्तरीय रेलवे भूमि प्रबंधन और निगरानी शाखाएँ स्थापित करने पर विचार किया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): रेल प्रशासन द्वारा रेल भूमि सीमाओं का नियमित निरीक्षण, सीमांकन और समय-समय पर सत्यापन किया जाता है और तदनुसार भूमि अभिलेखों को अद्यतन किया जाता है।

भारतीय रेल, जहां-कहीं अपेक्षित होता है, वहां भूमि अभिलेखों के निरंतर सत्यापन और अद्यतन कार्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य राजस्व प्राधिकरणों के साथ मिलकर कार्य करती है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, लगभग 98.02 हेक्टेयर रेल भूमि अतिक्रमण से मुक्त करा ली गई है। संवेदनशील स्थानों पर अतिक्रमण की रोकथाम के लिए, पिछले 5 वर्षों में 3,400 कि.मी. से अधिक लंबी बाउंड्री वाल का निर्माण किया गया है।

खाली पड़ी रेल भूमि का उपयोग परिचालनिक जरूरतों के अनुसार मल्टी ट्रैकिंग, रेलवे कारखानों, नए यात्री टर्मिनलों, कार्गो टर्मिनलों आदि जैसे अवसंरचनात्मक विकास के लिए किया जाता है। ऐसी भूमि जिसकी रेलवे को अपनी तात्कालिक जरूरतों के लिए आवश्यकता नहीं है, को वाणिज्यिक उपयोग के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को सौंपा जाता है।

*****